19

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1021-एक/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-5-2004 - पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 97/1994-95 निगरानी

बलराम प्रसाद तनय भूपनारायण
ग्राम जोबगढ़ तहसील देवसर
जिला सीधी, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- ग्राम पंचायत जोबगढ़ व्दारा सचिव
ग्राम पंचायत जोबगढ़ तहसील देवसर
जिला सीधी, मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री अजय चतुर्वेदी)
(आवेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 01 - 08 -2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 97/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 17 अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 6-10-1994 से ग्राम जोबगढ़ की निम्नानुसार आराजी आवेदक के हित में म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की :-

ग्राम का नाम	सर्वे कमांक	रकबा हैक्टर में
जोबगढ़	431	0.20
	534	0.26
	538	0.03

नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी के आदेश दिनांक 6-10-1994 के विरूद्व सरपंच ग्राम पंचायत जोबगढ़ ने अपर कलेक्टर बेढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर बेढ़न ने प्रकरण कमांक 55/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 8-2-1995 से निगरानी इस आधार पर अमान्य कर दी, क्योंकि सरपंच ग्राम पंचायत जोबगढ़ नाय़व तहसीलदार न्यायालय में पक्षकार नहीं था। इस आदेश के विरूद्व सरपंच ग्राम पंचायत जोबगढ़ ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 97/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 से अपर कलेक्टर बैढ़न का आदेश दिनांक 8-2-1995 एंव भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाने के कारण नायव तहसीलदार देवसर जिला सीधी का आदेश दिनांक 6-10-1994 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में प्रथमतः विचार किया जाना है कि सरपंच ग्राम पंचायत यद्यपि नायव तहसीलदार

के न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है तब क्या उसे नायव तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण करने की पात्रता है अथवा नहीं ?

1. **गंभीर सिंह विरूद्ध दिलीपकुमार 1992 रा0नि0 355 का दृष्टांत है कि म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत आदेश पारित किये जाने पर प्रत्येक नागरिक को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का संविधिक अधिकार प्राप्त है।**
2. **गोविन्द विरूद्ध लिमाजी 1986 रा.नि. 94 में बताया गया है कि जहॉ अधिक्रमण निस्तार की भूमि पर किया गया हो, निस्तार का अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्ययित पक्षकार माना जावेगा।**

वाद विचारित भूमि ग्राम जोबगढ़ की शासकीय भूमि है जो प्रत्येक ग्रामीण के निस्तार के लिये शासन से आरक्षित थी ऐसी भूमि व्यक्ति विशेष के हित में आवंटित/व्यवस्थापित कर दिये जाने से प्रत्येक ग्रामवासी हितबद्ध पक्षकार होकर निगरानी कर सकता है, इस सम्बन्ध में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 24-5-2004 में निकाला गया निष्कर्ष सही है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से यह भी परिलक्षित है कि उक्त पद 2 में अंकित भूमि पर आवेदक का 2-10-1884 के पूर्व का कब्जा भी नहीं है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24-5-2004 के पद 4 में अधिनियम में भूमि व्यवस्थापन हेतु पात्र/अपात्र व्यक्ति की विवेचना की है जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 2 (ए) में दी गई व्यवस्था अनुसार आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र नहीं पाया गया है क्यों कि आवेदक के पास भूमि व्यवस्थापन के पूर्व से स्वयं् के नाम 1.21 है. भूमि तथा आवेदक के पिता के नाम 6-26 हैक्टर भूमि है । आवेदक के भूमिहीन न होते हुये तथा बड़ा कास्तकार होते हुये भी नायव तहसीलदार देवसर ने प्रकरण क्रमांक 17 अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 6-10-1994 से आवेदक के हित में भूमि व्यवस्थापित कर अनुचित लाभ पहुंचाया है जिसके

कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24-5-2004 से दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 97/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-5-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर